प्रेस विज्ञप्ति

23.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने शरीर से अंग के अवैध निष्कासन और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में पवन कुमार और रवींद्र कुमार उर्फ आरके सिंह के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.06.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 17.07.2025 को अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए सकरा पु.था. (बरियारपुर ओ.पी.), मुजफ्फरपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि श्रीमती सुनीता देवी अपनी मां श्रीमती तेतरी देवी के साथ अपने गर्भाशय के इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के शुभकांत क्लीनिक गई थीं। शुभकांत क्लीनिक के संचालक पवन कुमार ने एक झोलाछाप डॉक्टर रविंद्र कुमार उर्फ आरके सिंह के साथ मिलीभगत करके उनके कथित रूप से क्षतिग्रस्त गर्भाशय की सर्जरी की सलाह दी और 20,000 रुपये की मांग की। ऑपरेशन के दौरान, श्रीमती सुनीता देवी की दोनों किडनी उनके गर्भाशय के साथ निकाल दी गईं, जबकि दावा किया गया था कि केवल गर्भाशय और ट्यूमर को हटाया गया था। सर्जरी के बाद, श्रीमती सुनीता देवी की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने पेशाब करना बंद कर दिया। बाद की मेडिकल जांच में दोनों किडनी निकाले जाने की पुष्टि हुई, जिसके कारण 21 अक्टूबर, 2024 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त, श्रीमती सुनीता देवी के परिवार के सदस्यों से एक अन्य अस्पताल में 40,000 रुपये की जबरन वसूली की गई, जिससे कुल अपराध की आय (पीओसी) रुपये 60,000/- उत्पन्न हुई।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि पवन कुमार और रवींद्र कुमार उर्फ आरके सिंह ने मिलकर अपराध की साजिश रची और 60,000 रुपये की पीओसी राशि अर्जित की, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए किया। पुलिस मामले में, पवन कुमार को माननीय विशेष न्यायालय (एससी/एसटी अधिनियम), पटना द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि रवींद्र कुमार उर्फ आरके सिंह पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है।